सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– **2012/04** दायर दिनांक **18.05.2012**

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. राजुराम पुत्र बालूराम 2. गोविन्दराम पुत्र बालूराम जाति नाई निवासी सिंघाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नेमाराम पुत्र अमानाराम जाति जाट निवासी–सिंघाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र माथुर अधिवक्ता प्राथी।
2. श्री हरदीनराम जाखड अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **04.01.2018**

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम सिंघाना में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 135, 136, 137 कुल रकबा 63 बीघा 13 बिस्वा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नेमाराम की तरफ से वकील श्री हरदीनराम जाखड ने वकालतनामा पेश किया।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 1505 दिनांक 16.07.2012 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.07.2012 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक– ग्राम सिंघाना के खसरा सं0 135, 136, 137 में आवागमन हेतु खसरा सं0 514/116 में से होकर जाने हेतु खसरा सं0 514/116 के नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी की लम्बाई 55 गट्ठा,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–2012/04
दायर दिनांक 18.05.2012 निर्णय दिनांक 04.01.2018
राजुराम बनाम नेमाराम, वगैरा।

मार्क ए से बी तक की चौडाई 02 गट्ठा तथा मार्क सी से डी के रास्ते की लम्बाई 10 गट्ठा व मार्क सी से डी तक की चौडाई 03 गट्ठा कुल ए से बी सी डी तक रास्ते का क्षेत्रफल 140 वर्ग गट्ठा अर्थात 07 बिस्वा है।

उक्त रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थी ने आपत्ति पेश की तथा पुनः विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी की आपत्ति पर तहसीलदार डीडवाना से पुनः विस्तृत मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पंत्राक 1752 दिनांक 28.08.2012 के द्वारा पुनः विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की। उक्त मौका रिपोर्ट में भी खसरा सं0 514/116 में से नजदीक रास्ता होने के कारण रास्ता घोषित किये जाने की अनुशंषा की गई तथा दिनांक 21.05.2015 को प्राप्त तहसीलदार की रिपोर्ट में भी खसरा सं0 514/116 में से नजदीक रास्ता होने के कारण रास्ता घोषित किये जाने की अनुशंषा की गई।

वकील अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय डीडवाना के प्रकरण सं0 12/07 निर्णय दिनांक 26.07.2011 व माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) लाडनूं के प्रकरण सं0 32/05 निर्णय दिनांक 12.02.2007 के निर्णय की प्रति पेश की। जिनका ससम्मान अवलोकन किया।

अप्रार्थी ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर के समक्ष भी एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगाया। जिसका निर्णय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा दिनांक 07.05.2013 को इस आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पर खारिज किया कि " धारा 251ए के अन्तर्गत रास्तों के मामले सरसरी जांच के आधार पर यथा संभव 03 माह में निपटाये जाने चाहिए। प्रार्थी का सन्देह ठोस कारणों पर आधारित नहीं होकर प्रकरण को विलम्बित करने का प्रयास ही प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

शरहद सिंघाना के खसरा नम्बर 135, 136, 137 रकबा 63 बीघा 13 बिस्वा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की दिनांक 16.07.2012 की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थीगण को रास्ता की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–2012/04
दायर दिनांक 18.05.2012 निर्णय दिनांक 04.01.2018
राजुराम बनाम नेमाराम, वगैरा।

नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक भूमि को नजदीकी रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। अप्रार्थी पक्ष की आपत्ति पर दो बार पुनः मौका रिपोर्ट भी मंगवाई जा चुकी है। उक्त दोनों रिपोर्ट में भी दिनांक 16.07.2012 को पेश की गई रिपोर्ट ही नजदीकी रास्ते के लिए उपयुक्त बताया गा है। तहसीलदार डीडवाना की दिनांक 16.07.2012 की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 135, 136, 137 वाकै सरहद सिंघाना में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.07.2012 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी से दर्शित लाईन की भूमि कुल रकबा 07 बिस्वा रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **04.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner